

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2018

क्रमांक:-भू.अ./2015/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयन श्री उदे राम पिता खेमा नि.
पुरोहितो का सावता प.ह. तुखड़िया के राजस्व ग्राम पुरोहितो का सावता में जमीन संवत.....
की खाता संख्या में जमि/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जमि/नाम उदे राम किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जमि/नाम उदे राम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जमि/नाम (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जमि) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

fev
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2015/1069

दिनांक:- / / 2018

निमित्त:

18/12/2018

पटवार हल्का तुखड़िया

विषय:-सम्मानजनक जमि/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयन के अनुसार श्री उदे राम पिता खेमा
राजस्व ग्राम पुरोहितो का सावता प.ह. तुखड़िया की खाता संख्या..... में
जमि/नाम उदे राम दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जमि/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयन श्री उदे राम पिता खेमा की
जमि/नाम उदे राम एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. तुखड़िया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

665
2037